


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## ::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधानाध्यापक/स्थाना/विविध/2021 दिनांक 02.02.2021 द्वारा श्री श्रवण कुमार भानवाल, प्रधानाध्यापक, राउमावि ग्रान्धी, कोलायत जिला बीकानेर (नवकमोन्नत) का स्थानान्तरण रामावि छितर बेरा जिला जोधपुर किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध श्री श्रवण कुमार भानवाल द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 1342/2021 दायर की गई।

अपील संख्या 1342/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 23.02.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 02.02.2021 का क्रियान्वयन अपीलार्थी श्री श्रवण कुमार भानवाल के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक अथवा राउमावि ग्रान्धी, कोलायत जिला बीकानेर (नवकमोन्नत) में नवीन प्रधानाचार्य के कार्यग्रहण करने तक स्थगित किया गया है।

श्री श्रवण कुमार भानवाल द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना समायोजन राउमावि गोविन्दसर कोलायत जिला बीकानेर/रामावि उदट जिला जोधपुर/रामावि खीरवा जिला जोधपुर/रामावि मढ जिला कोलायत में प्रधानाध्यापक के पद पर किये जाने का निवेदन किया गया। श्री श्रवण कुमार भानवाल के उक्त अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनका समायोजन/पदस्थापन राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोविन्दसर, कोलायत जिला बीकानेर में प्रधानाध्यापक के रिक्त पद पर किया जाता है।

  
(सौरम स्वामी)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/श्रवण/1342/2021/

दिनांक: 07.04.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर/जोधपुर संभाग, बीकानेर/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर/जोधपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक बीकानेर/जोधपुर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)